THE DELHI MUNICIPAL LAWS (AMENDMENT) BILL, 1991

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and the Punjab Municipal Act, 1911, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Madam, the assessment and realisation of property tax by the Municipal Corporation of Delhi and the New Delhi Municipal Committee is closely linked with the standard rent provided under the Delhi Rent Control Act. This Act was amended through The Delhi Rent Control (Amendment) Act, 1988 and became effective from 1st December, 1988. The main changes brought in by the amendment Act were—(a) premises with a rent of Rs. 3,500 per month and more are beyond the purview of the Rent Contol Act; (b) properties constructed after 1st December, 1988 will not be liable to be assessed for the standard rent for the first ten years; (c) the standard rent applicable to different categories of properties as a proportion of the cost of construction etc. has been raised to 10 per cent; and (d) a provision has been made that after every three years, standard rent or any rent agreed upon between the landlord and the tenant (where no standard rent is fixed) may be increased by 10 per cent. As a result of the above amendments, assessment of property taxes needed some changes. Under section 126 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, the Commissioner, Delhi Municipal Corporation was required to make amendments in the Assessment List from 1st December, 1988 and to issue notices for such amendments within the same financial year, i.e. before 31st March, 1989. In view of the fact that a large number of properties—about five lakhs—were due for an amendment and the fact that the time available for issuing notices to the properties owners was very short, it was not possible for the Commissioner to get surveys completed, documents scrutinised and issue well-founded notices before 31st March, 1989. The Delhi Municipal Corporation Act, 1957 was accordingly amended through the Delhi Municipal Laws (Amendment) Act, 1989 to provide time for issue of notices for the years commencing from 1st April, 1988 and 1st April, 1989 before 1st April, 1991.

Similarly, the Punjab Municipal Act, 1991 as in force in New Delhi was also amended by the Delhi Municipal Laws (Amendment) Act, 1989 to enable the New Delhi Municipal Committee to issue notices for the amendment of the Assessment List for the financial years commencing on 1-4-1988, 1-4-1989 and 1-4-1990 before the first day of April, 1991.

In March, 1991 it was felt that the magnitude of the work involving survey of properties, scrutiny of records and issuing of notices was such that it was difficult to complete the process before 1-4-1991. As such, the time for issue of notices was proposed to be extended till 31-3-1992. As the Parliament was not in Session, the President promulgated an Ordinance on 30-3-1991 to amend relevant provision of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and the Punjab Municipal Act, 1911 to permit issue of the notices before 1-4-1992.

The present Bill is to replace the said Ordinance. The Bill is essential as it will help avoid undue haste in the preparation of assessment lists and check inflated claims being preferred with consequent harassment to the tax-payers. It will also help both the Municipal Corporation of Delhi and the New Delhi Municipal Committee to increase their revenues.

I commend this Bill to the House for consideration and acceptance.

[Shri M. M. Jacob]

The Question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minister read the speech in a very fast *gati*. Now I hope we will pass the Bill in a very fast *gati* and have no discussion...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI S. JAIPAL REDDY): Madam, one or two Members would like to say something...

THE DEPUTY CHAIRMAN: One or two?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Only one. O.K. ...(*Interruptions*)... Madam, he is interested in Delhi...

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : महोदया, अपोजिशन के लीडर ने कहा था कि कोई बहस नहीं होगी... (व्यवधान) इसलिये मैंने अपना नाम वापिस लिया था। मैंने अपना नाम इसी आश्वासन पर वापिस लिया था कि अपोजिशन के लीडर ने कहा था कि तुरन्त पास किया जायेगा, कोई बहस नहीं होगी इस पर । अब बहस क्यों कर रहे हैं इस पर ? अपोजिशन के लीडर ने जो वचन दिया था सदन में उससे पीछे नहीं हटना चाहिये ।

उपसभापति : पाण्डेय जी, प्लीज, अपना स्थान ग्रहण कीजिये । Order. Order, please. The time allotted to the Bill is one hour and if we want to have a four-hour discussion, one Member gets one minute. ...(*Interruptions*)... There are four minutes left. Please speak for four minutes.

श्री लोकपाल (उत्तर प्रदेश) : माननीया उपसभापति महोदया, नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पर चर्चा करने के लिये मुझे आप अवसर दे रही हैं, मैं धन्यवाद करता हूं ।

इस संशोधन के माध्यम से, इस प्रस्ताव के माध्यम से दो अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव है । एक तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और दूसरा पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911, दिल्ली नगर निगम का कार्यक्षेत्र पूरा दिल्ली है जिसमें ग्रामीण दिल्ली भी आती है, जिसका कुल क्षेत्रफल 516 वर्गमील है । यानी 1320 वर्ग किलोमीटर है । दूसरा बिल पंजाब नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक है जिस के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका का 16 वर्ग किलोमीटर का क्षत्र यानी 26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रशासित है, उससे संबंधित है ।

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस संशोधन का उद्देश्य यह बताया है कि 1 दिसंबर 1988 को दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम संशोधन विधेयक लागू होने के बाद 5 लाख से ज्यादा संपत्तियां ऐसी थीं जिनके विषय में नया सर्वेक्षण करके नए नोटिस जारी किए जाने की जरूरत पड़ी । कहा गया है कि मकानों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि चार महीने का जो शेष समय उस वर्ष का था उस समय में यह कार्य संभव नहीं था । मेरा कहना है कि कुछ भवनों और कुछ आवासीय क्षेत्रों को तो उतने समय में नोटिस दिया जा सकता था । पर इस के पीछे माननीया बात कुछ और है। 1983 में नगर निगम का पिछला चुनाव हुआ था और 1988 में 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद यह चुनाव पुनः होना था । उस समय कांग्रेस नगर निगम में सत्ता में थी । तो इस भय से कि अधिक किराए के नोटिस जाने से उनकी लोकप्रियता घट सकती है, उन्होंने एक राजनैतिक निर्णय अनौपचारिक रूप से लिया कि नए नोटिस इश्यू नहीं किए जाएं । अकसर यह समझा जाता है कि अधिकारियों की इनऐफिशियेंसी से इस तरह की चीजें होती हैं पर इस मामले में जो बंटाधार हुआ वह दिल्ली के कांग्रेसी राजनेताओं की अदूरदर्शिता और विचार-हीनता से हुआ । उन्होंने इस चालाकी से चार साल तक दिल्ली की जनता के ऊपर यह तलवार लटका रखी है । जनता को

यह पता नहीं है कि किस तरह से उनके ऊपर कर लगाए जाने का सारा कार्य एक ही वर्ष में किया जाएगा तो वह किस तरह से इसकी भरपाई करेंगे, यह समझ में नहीं आता है । इस कठिनाई का सामना दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है । इस काम को चार महीने में नहीं कर सकते थे तो उसे 16 महीने में कर सकते थे । उसके बाद और एक वर्ष की अवधि हो गई तो उसको 28 महीने में करते । उसके बाद एक साल और अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही है । इसी बीच में उल्लेखनीय यह है कि माननीय जगप्रवेश चन्द्र जी जो उस समय दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिससे नई किराया दरों को न्यायसंगत बनाने की सिफारिश करने को कहा गया था ।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती जगमती सांगवान) पीठासीन हुईं ।]

उस समिति ने एक वर्ष तक कुछ नहीं किया । उसके बाद बी०जे०पी० का अधिकार नगर निगम पर हुआ । श्री विजय कुमार मल्होत्रा की अध्यक्षता में उस समिति का पुनर्गठन किया गया या उनका अध्यक्ष बनाया गया । उन्होंने 1990 में अपना प्रतिवेदन गृह मंत्रालय को सौंप दिया जिसके ऊपर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । मेरी आशंका यह है कि चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी इन सिफारिशों को लागू करने का पार्शली या पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया गया है तो दिल्ली की जनता के ऊपर य तलवार फिर लटकी रहेगी और मुझे यह भी आशंका है कि अगली बार फिर संशोधन प्रस्ताव सदन के सामने सरकार ला सकती है कि एक वर्ष की अवधि और बढ़ा दी जाए । मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि कम से कम अगले वर्ष इस अवधि को बढ़ाने की मांग नहीं की जाएगी ।

महोदया, इसी संबंध में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि 1984-85 में जो यह 60 करोड़ की वसूली थी, वह पिछले वर्ष 134 करोड़ की हो गई । अगर यह 5 लाख मकान गृह कर की परिधि में आ जाते तो 200 करोड़ से ज्यादा वसूली हो जाती । इस राजस्व के घाटे का जिम्मेदार कौन है जिसके कारण सारे विकास का कार्य रुका हुआ है ? नगर निगम की वित्तीय स्थिति का हाल यह है कि उनके पास मासिक वेतन देने के लिए पैसा नहीं है और दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय सरकार से जो अनुदान प्राप्त होता है उससे वह उसकी पूर्ति करते हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन सिफारिशों पर तुरन्त निर्णय लें, जो निर्णय लेना हो लें, लेकिन कम से कम 31 मार्च तक सारे नोटिस इशू किए जाएं जिससे कि जनता को और ज्यादा दिन तक लटकना न पड़े ।

मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीया उपसभाध्यक्ष महोदया, यह जो बिल दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए तय यह हुआ था कि कोई इस पर न बोले और मंत्री महोदय जवाब दे और सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया जाए लेकिन हमारे माननीय विरोधी दल के नेताओं ने जो बातें की हैं, बहुत कुछ उस से सहमत होते हुए यह जो बिल लाया गया है इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें यह है कि किस तरह से, जो दिल्ली के नागरिकों पर टैक्स लागये जाते हैं, उससे रिलीफ मिले । जो टैक्स लगाने की प्रक्रिया सामान्य नागरिकों पर दिल्ली नगर पालिका की है । उसको किस तरह से रेशनल बना सके, किस तरह से रिजेनेबुल बना सकें यह देखने की बात है । दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है वह चाहे बाहर से आने वाले लोगों के कारण हो या दिल्ली में परिवार नियोजन को न अपनाने के कारण हो । स्थिति यह है कि एक ओर ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएं हैं, एक ओर दिल्ली नगर पालिका के तहत ऐसे बहुत से मकान हैं जिनमें लोग सौरह के नाम पर जमीन दाबी पड़ी हुई है और दूसरी ओर

[डा० रत्नाकर पाण्डेय] : गटर में कीड़े की तरह झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं। उनकी विषमता को हमें दूर करना होगा। यह दिल्ली भारत की राजधानी है। और वहां आए दिन अपराध होते हैं—चाहे बैंक लूटे जा रहे हों और चाहे आतंकवादियों का आक्रमण हो। और भी अनेक ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली राजधानी होने के नाते अपनी स्वतंत्र स्वायत्ता रखती है। बहुत दिनों से यह मांग है कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली महानगर परिषद के चुनाव हों। दिल्ली नगर निगम में जो नोमिनेशन होता था वह भी नहीं हो पा रहा है। अगर हम डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं तो उस प्रक्रिया को हमें चालू करना है।

गृह मंत्री चव्हाण साहब जो हमारे सदन के नेता भी हैं, यहां बैठे हैं कई बार उनसे मिलकर मैंने आग्रह किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल का मामला बहुत दिनों से अटका हुआ है। पिछले दिनों हमारे सदन के गृह राज्य मंत्री जैकब साहब ने आश्वासन दिया था कि बैंक डकैती के माले में उचित कार्रवाई होगी लेकिन वह कार्रवाई एल. जी. के द्वारा और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा होनीचाहिए थी, वह हीं हुई। गृह मंत्री ने जो आदेश दिन था उसका कार्यान्वय नहीं हुआ। यारी सरकार है तो हमारे एल.जी.और हमारे आई. जी. पुलिस हमारी बात न माने इससे बड़े अपमान की बात और क्या हो सकती है। जब क हम दंड प्रक्रिया की व्यवस्था नहीं करेंगे...

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh): On a point of order. He is talking about the police and all that. What has it got to do with the municipal laws? I don't understand.

DR. RATNAKAR PANDEY: Try to understand. This is a Bill relating to Delhi...

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: number of problems have been to ing the Chair. I am talking to the Chair, Mr. Pandey. Madam Vice-Chairman, I rose on a point of order...

DR. RATNAKAR PANDEY: I am not talking to you direct... (*Interruption*)

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: What about my point of order?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I will ask him to speak on the subject.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: He has been misbehaving in this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Dr. Pandey, please conclude now.

डा० रत्नाकर पण्डेय : उपसभाध्यक्ष महोदया, उपराज्यपाल हो या कोई भी नौकरशाह हो और या पुलिस का कोई अधिकारी हो वह यूनियन टैरेटरी में गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। जो गृह मंत्री का आदेश नहीं मानता उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पहले भी मांग की थी और आज भी मांग करता हूं कि एल.जी. को तुरन्त विदा किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जो दल के प्रति समर्पित हो और जिस पर गृह मंत्री और प्रधान मंत्री का विश्वास हो चुनकर दिल्ली का राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। और वर्तमान लेपिटनेंट गवर्नर को तुरंत हटाया जाय क्योंकि उनकी निष्ठा केवल अपने कार्यकाल को बढ़ाने में है, दिल्ली की जनता के हित में नहीं है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी तो बी.जे.पी. ने उसका समर्थन किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के 15–16 कालेजों की गवर्निंग बाडी को काम करने से रोक दिया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please do not make any reference to the Lt. Governor. ... (*Interruptions*) ...Please conclude.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : इस तरह से व्यवहार किया गया और उसे बी.जे.पी. और आर.एस.एस. का अड्डा बनाया गया और गवर्निंग बाडी के काम करने के तरीकों को बदल कर दिल्ली के 50 हजार छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया । इसलिये इनको तुरंत बदला जाना चाहिए क्योंकि 50 हजार छात्रों... (व्यवधान) ...

महोदया, मैं जनतंत्र में विश्वास करता जब और जनतंत्र का जब तक मुंह बंद किया जायेगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने गवर्निंग बाडी को काम करने से रोका और आज तक सारी गवर्निंग बाड़ी बी.जे.पी. की छाया में चल रही है । इसलिये मेरी मांग है कि गृह मंत्री जी तत्काल ही छात्रों और शिक्षा में रुचि रखने वाले जो लोग हैं, जो पोलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनकी गवर्निंग बाड़ी बनायें, तभी यह बिल लाना सार्थक होगा । मैं विश्वास करता हूं कि माननीय चव्हाण साहब और उनके सहयोगी श्री जैकब साहब इस पर अवश्य विचार करेंगे और तत्काल इस को अंजाम देंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक का पूर्ण हृदय से अपने दल के समस्त सदस्यों के साथ समर्थन करता हूं ।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, इस विधेयक पर बहस में हिस्सा लेते हुए तीन सवाल मेरे जेहन में आ रहे हैं, कब, क्यों और कहां । मैं पाण्डेय जी की तरह बहस में नहीं जाना चाहता । लेकिन सवाल यह है कि चार महीने में नोटिस नहीं दिये गये चार साल में नहीं दिये गये तो हम कब तक समय देंगे ? अभी हमारे देश में और सदन में चर्चे चालती जा रही है कि हमें अपनी एफिसियेंसी बढ़ानी पड़ेगी । लेकिन चार महीने में हम नोटिस नहीं दे पाये दिल्ली में बैठकर दिल्ली के लोगों को चार साल में नहीं दे पाये और अब आप कहते हैं कि इसके लिये समय बढ़ाइये । मंत्री जी ने अपने बयान में बहुत कुछ कहा लेकिन इसको समयबद्ध कैसे करेंगे इसके बारे में कहा जाना चाहिये कि कोशिश इतनी तक हुई है और बाकी इतने दिनों तक होगा । पांच लाख के अंदर कितनों को दिया गया और कोशिश इतने तक हुई है और बाकी इतने दिनों तक होगा और उसके बाद औरों को कब तक दिया जायेगा । अभी सोमपाल जी कह रहे थे कि हमें अपने सियासी नुक्तेनजर से काम करने दिया नहीं । अभी वोट करना है, अभी टैक्स के नोटिस नहीं दिये गये हैं, अभी असेसमेंट नहीं करना है । हम जब सियासत को सियाशी फायदे के लिये इस्तेमाल करते हैं तो म्युनिस्पल कारपोरेशन में बैठे हुए लोग अपने पाकेट के लिये भी उसका इस्तेमाल करते हैं । जिस तरह से प्रापर्टी, संपत्ति की कीमत दिल्ली में बढ़ती जा रही है, आप जानते हैं चार-पांच साल में इसकी कीमत कितनी बढ़ी है और अदायगी नहीं होती टैक्स की । 1987 में लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि 27.5 करोड़ रुपये प्रापर्टी टैक्स का दिल्ली म्युनिस्पल कारपोरेशन का बकाया है । अब यह दो सौ करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया है । यह जो नक्सेस है, पोलिटीशियंस, प्रापर्टी डीलर्स और म्युनिसिपल कारपोरेशन के आला अफसरों का, इसको तोड़ना चाहिये । मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 31-3-91 तक के लिये विधेयक लाया गया है क्या इस दरमियान में यह काम हो जायेगा ? क्योंकि सवाल यह है कि हम यहां इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं ? जब हमें देश की उद्योग नीति के बारे में, देश की अर्थ नीति के बारे में और आइंदा हम कहां जाना चाहते हैं, इन तमाम मामलों पर हमें सदन में बहस करनी होती है तो म्युनिस्पल कमेटी का मामला, सिटी कम्युनिटी का मामला और टैक्स के मामले में भी हम सदन का समय बरबाद करें, यह उचित नहीं है । कांग्रेस का चुनाव वायदा जो सौ दिनों में पंचायत राज और नगरपालिका के चुनाव का काम करने का पूरे देश में था ... म्युनिसिपल कारपोरेशन की एफिशियंसी को बढ़ाना है तो वहां पर

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

चुनाव क्यों नहीं कराते हैं ? डेमोक्रेटाइज करने से लोकतान्त्रिक तरीके से काम करने से उनकी जवाबदेही जनता के प्रति बढ़ती है, जिन लोगों से वोट लिया होता है, उनको जवाब देना पड़ता है । हम यह न कर के अफसरों की पोस्टिंग कर के काम करते हैं । चाहे म्युनिसिपल कारपोरेशन हो या मेट्रोपोलिटन कौंसिल हो, इनके चुनाव की बात माननीय मंत्री महोदय को अपने जवाब में बतानी चाहिये कि कब यह चुनाव करवाने जा रहे हैं ? क्योंकि ऐसे कानून पास करने की यह जगह नहीं है । तीसरा सवाल यह है कि हम इन बातों को यहां क्यों कर रहे हैं ? कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेंडिंग है, स्टेट्यु के बारे में सरकार को नजर स्पष्ट करनी चाहिये कि वह क्या करना चाहती है । दूसरी बात यह है कि हम दिल्ली नगरपालिका के दायरे को बहुत सीमित कर चुके हैं । यहां हजारों लोग झुग्गियों में रहते हैं। उनको जो न्यूनतम सुविधाएं मिलनी चाहियें वह नहीं दी गई है । वर्षों से अनअथोराइज्ड कालोनीज को रेगुलराइज करने के लिए चुनावों के समय में वायदा तो किया जाता है लेकिन उस वायदे को पूरा नहीं किया जाता है । मैं मंत्री जी से इस बारे में आश्वासन चाहूंगा । मुझे तो यह लगता है कि डी०डी०ए० की कालोनीज को एक स्टूडियो बनाया हुआ है क्योंकि जब भी हम बीमारी के बारे में, हैजे के बारे में, सफाई के बारे में, अशिक्षा के बारे में, देश की जनता को समझाने के लिए शूटिंग करना चाहते हैं तो क्रियुमेन डी०डी ए० की कालोनी में पहुंच जाते हैं । वहां से तस्वीर ले कर सारे देश की जनता को दिखाते हैं । इस तरह की हालत कालोनीज की हो गई है कि यह एक परमानेंट स्टुडियो बन गया है । इनकी हालत को सुधारना है । यहां म्युनिसिपल कारपोरेशन में घोटाला चल रहा है देश के दूसरे भागों के मुकाबले में दिल्ली कारपोरेशन में पर-केपिटा स्पेंडिंग तीन गुना ज्यादा है लेकिन सेवा जो है वह कुछ भी नहीं मिलती है । दूसरे शहरों में जो सेवा मौजूद है, जो न्यूनतम सेवा मौजूद है, वह सेवा यहां भी मिलनी चाहिये, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो । यहां जो गरीब लोग रहते हैं खास कर के ट्रांस यमुना इलाके में यह सेवाएं उनको प्राप्त नहीं हैं । हम समझते हैं कि मंत्री महोदय को अरबन डवलपमेंट के अधिकारियों और म्युनिसिपल अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाना चाहिये ।

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिए समय दिया । मैं दिल्ली नगरपालिका (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं । इस विधेयक के द्वारा दिल्ली नगरपालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और यह होना बहुत आवश्यक भी है । हम देख रहे हैं कि नगरपालिका के अन्तर्गत जितने प्राइमरी स्कूल हैं जिनके वेतन का भार इस नगरपालिका पर है उन स्कूलों के अध्यापकों को कभी भी पहली तारीख को वेतन प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला । यह नगरपालिका बनने के समय से यही स्थिति है । मैंने स्वयं अध्यापकों से भी जानकारी ली है और मुझे एक स्कूल में जाने का मौका मिला जहां यह पता लगा कि उनको पिछले 20–25 सालों में कभी भी पहली तारीख को वेतन नहीं मिला । अध्यापक को वेतन के लिए इस प्रकार से देखना पड़े कि मुझे कब वेतन मिलेगा तो वह छात्रों को कैसे अच्छी तरह से पढ़ा पाएगा ? इसलिए इस विधेयक के माध्यम से जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है उससे इस समस्या का भी हल होगा । मैं आपके सामने एक दृष्टांत रखना चाहता हूं । दिल्ली नगरपालिका के अन्तर्गत नवादा विलेज जो वेस्ट जोन में आता है वहां के स्कूल के अध्यापकों को जून मास का वेतन 17 जुलाई को मिला और जुलाई मास के वेतन के जो बिल हैं उनको सेंक्शन पता नहीं कब मिलेगी । उस स्कूल में 800 छात्र हैं और केवल 8 कमरे हैं और 17 सेक्शन हैं । बच्चे किस प्रकार से भेड़ बकरियों की तरह उनमें घुसे हुए हैं, इस समस्या के प्रति मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मैं गृह मंत्री जी माध्यम से कहना चाहूंगा कि

इस प्रकार की समस्या के प्रति भी ध्यान दें ताकि हमारे पूर्व नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो सपना संजोया था कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ कर के नवोदय विद्यालयों में जाएंगे उनका वह सपना पूरा हो सके । आप जानते ही हैं कि नवोदय विद्यालय छठी क्लास से प्रारम्भ होते हैं । उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग वह विद्यार्थी उस क्षमता तक विद्या नहीं प्राप्त कर सकेंगे।

7-00 P.M. नवोदय विद्यालय के माध्यम से अच्छी शिक्षा मिलने के उनके सपने का भी रास्ता रुक जाएगा । नगर पालिकाओं के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल का ऐसा भार दिया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान भर में यह स्थिति है । इसलिए चाहूंगा कि इस ओर भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें।

इसके साथ यहां दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्रों की जो कृषिभूमि है उस पर कब्जा कर लेते हैं । उन कृषकों से बहुत कम पैसे पर ले लेते हैं लेकिन एन०डी०एस०सी० और डी०डी०ए० वाले वापस उसका 8 गुना या 10 गुना वसूल कर लेते हैं । कृषकों का ध्यान रखने के लिए जो बाजार कीमत है उसको पूरा देकर ही उनकी जमीन ली जाए, यह भी मेरी मांग माननीय मंत्री महोदय से है ।

मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । धन्यवाद ।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : धन्यवाद । उपसभाध्यक्ष महोदया, दिल्ली नगरपालिका विधि संशोधन विधेयक, 1991 इस समय हमारे सामने लाया गया है । इसमें दो तीन स्पष्ट बातें अन्य वक्ताओं ने भी कही हैं, मंत्री महोदय को उनको आश्वासन देना चाहिए । जैसा कि कहा गया कि 4 वर्ष हो गये हैं और मूल्यांकन करने के लिए जो सूची बनी थी पांच लाख आवासों की उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक क्या कार्यवाही हुई, कितनी हुई, कुछ नोटिसेज दिये गये या नहीं दिये गये ? आखिर जो कुछ हुआ है उसके बारे में सदन को विश्वास में लिया जाए कि इन 4 वर्षों में नोटिससेज दिये गये, नहीं दिये गये दिये गये तो कितने दिये गये और उनका क्या परिणाम हुआ । कुछ पता लगना चाहिए ।

यह संशोधन एक बार 1989 में भी हो चुका है तब यह तिथि बढ़ाकर अप्रैल, 1991 तक की गयी थी जब फिर से यह मांग की जा रही है कि यह तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 1992 तक की जाए । क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि यह तिथि फिर आगे नहीं बढ़ानी पड़ेगी और जिस काम के लिए यह समय मांगा जा रहा है, उस काम को इस समय के अंदर पूरा किया जाएगा ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों से दिल्ली के नागरिकों पर यह तलवार लटकाई जा रही है । इसमें दो और बातें स्पष्ट होनी चाहिए । जो भी गृह कर लगेगा वह बाजार भाव पर नहीं लगेगा, क्योंकि जो कीमतें 1988 में थीं वे बढ़ते बढ़ते और ज्यादा हो गयी हैं और 1992 तक और भी ज्यादा हो जाएंगी । गृह कर का आधार यह होना चाहिए कि जो उसका लागत मूल्य था उसके आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए । जो प्रापर्टी की ओरिजिनल कास्ट थी, उसके बेसिस पर कर लगना चाहिए न कि जो बाजार भाव है उस पर लगे । यह अन्याय होगा । यह नहीं करना चाहिए ।

इसके साथ एक बात और भी आवश्यक है । दो कमेटियां बनीं थीं । लेकिन उनकी रिपोर्टस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उनके जो सुझाव हैं उनका भी ध्यान रखा जाए । श्री विजय कुमार मल्होत्रा की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने यह स्पष्ट सुझाव दिया है कि जो भी आवासीय गृह दिल्ली में हैं उन पर गृह कर साढ़े बारह प्रतिशत और अधिक से अधिक बीस प्रतिशत होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए । जो कर कमेटियां बनाई जाती हैं जो उनकी रिपोर्टस आती हैं उनकी जो सिफारिशें आती हैं उनको हर हालत में हमें इम्पलीमेंट करना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आज दिल्ली में नगर-पालिका होती, मैट्रोपोलिटन काउंसिल होती तो हम राज्य सभा में इतना समय इस पर बरबाद न करते । हम केवल कारपोरेशन के लिए कानून में संशोधन करने के लिए यहां पर इतना समय लगा रहे हैं । मुझे यह लगता है कि निहित राजनैतिक कारणों से दिल्ली के नगर-निगम और मैट्रोपोलिटन

[श्री कृष्णलाल शर्मा]

काउंसिल के चुनाव काफी देर से नहीं हुए हैं, जबकि मट्रोपोलिटन काउंसिल के 1988 में होने चाहिएं थे और नगर निगम के 1987 में होने चाहिए थे। जैसे कि मैंने यह मांग की है कि यह समय असेसमेंट के लिए दुबारा न बढाना पड़, वैसे ही मैं यह मांग भी करना चाहता हूं कि हमें दुबारा इस तरह के बिल इस संसद में डिसकस न करने पड़ें।

इसलिए इस वर्ष के अंदर-अन्दर नगर निगम और मैट्रोपोलिटन कौंसिल, दिल्ली के चुनाव करवाए जायें और इसके बारे में माननीय मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन इस सदन को दें कि वह इस पर भी गंभीरता से विचार करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI M. M. JACOB: Madam Vice-Chairman, the constraint of time is before me, but I will try to answer the most important points raised by my colleagues, hon. Members, during the course of discussion.

As everyone knows, though it is a very simple Bill, it is for the replacement of the Ordinance. An Ordinance was necessary because of the fact that the Municipal Corporation and the NDMC could not complete the assessment as we wished.

AN HON. MEMBER: Assessment or survey?

SHRI M. M. JACOB: Survey is part of the assessment. Actually what we expect, and we want now, is that the Municipal Corporation and the NDMC should survey properly and they should take time and do a good job. And in this process they took some time. There are five lakhs of units in the MCD area. Out of these 5 lakhs units, in 2½ lakhs the survey report is complete. The remaining 2½ lakhs are to be completed. Regarding the NDMC area, almost 90 per cent of the survey is complete and 10 per cent remains. It could not be completed because the amendment was passed in 1989. They did not want to harass anybody arbitrarily. So that was taken into account, and they went very seriously examining the various aspects of it. Then, Madam, in this process both the MCD and the NDMC were particularly enough in getting the reports very correctly. An hon. Member from here asked about the committee of Mr. Vijay Kumar Malhotra. Actually, in this House, the former Minister, Mr. Santosh Mohan Dev, when he was piloting the amendment in 1989, promised that a high power committee would be appointed. A high power committee was appointed. Mr. Jag Pravesh Chandra was looking after this. This committee could not complete its exercise of making recommendations. It could not complete the whole thing because by that time the Municipal Corporation and also the committee were dissolved. The dissolution of the committee happened to be another bottleneck which necessarily invited another situation where another committee was constituted where some representatives of the people headed by Mr. Malohtra were appointed. Sir, during this time an expert committee was appointed, headed by Dr. Baji, who went into the matter. Now, again, the report of the committee was awaited. This report reached us only on 22-7-91. And even afterwards, on 2nd August we got another source of information from the administration on the same issue. So we did not get time actually to examine the recommendations of the committee and come before the House what exactly are the recommendations and how we stand now. Naturally, we want time to examine it. The time factor is an important thing. So, Madam, this is the factor. The expert committee was constituted in August, 1990, the Property Tax Committee in November 1990, and on a casual observation we found that there is a contradiction between the expert committee on the one side and the Property Tax Committee on the other side. That is to be examined by the Government as to what exactly is the contradiction—who is wrong and who is not

wrong, or both of them are wrong or both of them are right. So, these are the facts that prevented the process from being completed. Now, the request is only for the extension of time up to 1992, a few more months. Till that time, I hope that the MCD and NDMC will be able to complete their job. The NDMC has already been able to complete the job. I hope that the MCD wil also be able to complete the job before April, 1992 as is mentioned in this Bill.

Another question was asked about the overall development of Delhi and the problems including education, etc. Delhi is the metropolitan capital of India and as such we have to give a lot of emphasis for Delhi. This Government has never gone away from elections. Some hon. Member asked when are we going to hold elections. Definitely, we will hold elections. We are not running away from elections but elections also will have to be decided. This Government, ever since independence in all the elections which were held, never ran away from elections. We believe in elections. But many suggestions have come regurding elections: that you must have the elections on the basis of the new voters' list. Many new people have come here and they have to rely on the new voters' list. Some other hon. Members also have written to us that we have to conduct elections on the basis of the Sarkaria Committee recommendations and some others said that we have to conduct elections on the basis of Balakrishnan Committee recommendations. Because of these contradictions and proposals and ideas but forth we have to do it in a very systematic manner. (*Interruptions*).

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): You are talking of Delhi Corporation, which does not exist. First of all it is needed that elections are held... (*Interruptions*). You are talking of a thing which does not exist. (*Interruptions*). There is no Delhi Corporation. It is bureacracy that is ruling. (*Interruptions*). Unless you do that how can you get the job done? I want the Home Minister to... (*Interruptions*).

SHRI M. M. JACOB: Mr. Mathur, I have taken your views very seriously. (*Interruptions*).

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: But it is no use talking about a thing which does not exist (*Interruptions*). When you said, it is the Government which is doing it, but not the Delhi Corporation... (*Interruptions*).

SHI M. M. JACOB: My Ministry is certainly looking into that. (*Interruptions*)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: The Ministry is ruling. It is not the people's corporation. (*Interruptions*). To talk of Delhi Corporation is actually wrong. It is a misnomer. (*Interruptions*). It does not exist. First of all you hold elections; then alone you come out... (*Interruptions*). When do you want to hold elections?

SHRI M. M. JACOB: I am not making a political speech on this... (*Interruptions*).

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: It is all political. You are not holding elections. (*Interruptions*).

SHRI M. M. JACOB: Millions of people in Delhi, property owners, those who have to pay tax shall not be harassed. That is the reason that we are bringing this amendment now.

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदया, यह कितनी भी देर लगाएं, यह हारने वाले तो हैं ही, यह चुनाव क्यों नहीं कराते ?

SHRI M. M. JACOB: About the point raised by you, though not relevant to this particular Bill, at the moment, I am prepared to discuss with you separately on each point and try to understand more and convince each othher. Then we will come to a conclusion. This Government, as you know, will seek consensus and

your opinion and we wil consult you on the appropriate time on this question. Madam, I request the House to pass this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and the Punjab Municipal Act, 1911, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI M. M. JACOB: I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) :मैडम इतनी आसानी से कोई बिल पास नहीं हुआ है ।

THE JAMMU AND KASHMIR CRIMINAL LAW AMENDMENT (SECOND AMENDING) BILL, 1991

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): There is a Statutory Resolution of disapproval by Shri S. S. Ahluwalia. He is not present. The Minister will move the Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir Criminal Law Amendment Act, 1983, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Jammu and Kashmir Criminal Law Amendment Act, 1983, provided for effective prevention of certain unlawful activities of individuals or associations. Under the enabling provisions of this Act, the State Government is empowered to declare the individual or an association as unlawful if the Government is satisfied that the said groups or associations are indulging in such activties which encourage or propagate hatred or hostility between different groups or indulge in activities against the interest of the nation.

In pursuance to the prior approval of the Central Government, the Governor of Jammu and Kashmir promulgated an Ordinance extending the time limit for finalising enquiry by the tribunal. The present legislation seeks to replace the Ordinance issued by the Governor on 16-6-1991.

Proclamation of the President dated 18th July 1990 made under article 356 in relation to the State of Jammu and Kashmir provided that a reference under section 91 of the State Constitution to the Governor or the legislature of the State or the House thereof shall be construed as reference to the President or to the Parliament or to the House thereof respecively. The Bill has, therefore, been brought before Parliament and I commend the Bill for consideration by this august House.

The question was proposed.

SHRI SURESH KALMADI: I want to say that I hope that this Bill...

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : मैडम, अगर यह बोलेंगे तो हम लोगों में से भी एक आदमी को बोलने का मौका दीजिए ।

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): This is a very important matter. I hope this Bill strengthens the Government as we are all concerned about the inaction in not getting the release of Mr. Doraiswamy. Yesterday we read in the